स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 83, दिनांक 14–03–2024

पालघर, महाराष्ट्र में वाहन चालक का कार्य करते हुये बेस ऑयल मूल्य रू. 30,00000/–(तीस लाख) को अवैध रूप से दलालो के माध्यम से विक्रय कर, लगातार फरार चल रहा अभियुक्त संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता जनपद बस्ती से गिरफ्तार।

दिनांक 14–03–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 एवं महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम को पालघर, महाराष्ट्र में वाहन चालक का कार्य करते हुये बेस ऑयल मूल्य रू. 30,00000/–(तीस लाख) को अवैध रूप से दलालो के माध्यम से विक्रय कर, लगातार फरार चल रहा अभियुक्त संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता को जनपद बस्ती से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:–

1– संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता, उम्र करीब 30 वर्ष, ग्रा0 गोसैसीपुर, थाना कलवारी, जनपद बस्ती

गिरफ्तारी का स्थान/समय:–

ग्राम गोसैसीपुर, थाना कलवारी, जनपद बस्ती दिनांक 14–03–2024 समय 07.30 बजे।

जी0ओ0सी0 पेट्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, सिलवासा के द्वारा रोजरी (ROSSARI) बायोटेक लिमिटेड, महाराष्ट्र बेस ऑइल का आर्डर दिया गया था। उक्त बेस ऑइल की कीमत 300000 (तीस लाख रूपये) थी। उक्त बेस ऑयल को ले आने का कार्य विक्रान्त रोडवेज, महाराष्ट्र को सौंपा गया था। विक्रान्त रोडवेज के माध्यम से बेस ऑयल ले जाने वाले ट्रक को चालक बृजेश एवं संतोष के साथ भेजा गया, चालक बृजेश एवं संतोष द्वारा दलाल शरतउल्ला खॉ, भिवंडी महाराष्ट्र के साथ मिलकर पूरे माल (बेस ऑयल) को बिक्रय कर पैसा लेकर फरार हो गये। उक्त प्रकरण में थाना नयागॉव, जिला पालघर में मु0अ0सं0 267/2023, धारा 406/407/409/34 आई0पी0सी0, पंजीकृत किया गया। प्रकरण में पूर्व में दलाल शरतउल्ला खॉ को गिरफ्तार किया जा चुका है। चालक बृजेश एवं संतोष लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार रहे। फरार/वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता की गिरफ्तारी हेतु महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एसटीएफ उत्तर प्रदेश से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिस पर श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में **एसटीएफ फील्ड इकाई, अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।**

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जनपद बस्ती के थाना क्षेत्र कलवारी में मौजूद है। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में **एसटीएफ टीम अयोध्या** एवं महाराष्ट्र पुलिस के ए0पी0आई0 श्री रोशन देवरे की संयुक्त टीम द्वारा वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त संतोष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष–2023 में नौकरी करने पालघर महाराष्ट्र गया था, वहॉ पर गाड़ी चलाने का काम करता था। विक्रान्त रोडवेज, महाराष्ट्र द्वारा मुझे एवं बृजेश को बेस ऑयल को पहुॅचाने का कार्य दिया गया था। उक्त बेस ऑयल को रोजरी (ROSSARI) बायोटेक लिमिटेड, महाराष्ट्र से गाड़ी में लोड कर जी0ओ0सी0 पेट्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, सिलवासा तक पहुॅचाना था। लालच में आकर मेरे एवं सहयोगी बृजेश द्वारा दलाल शरतउल्ला खॉ के माध्यम से विक्रय कर दिया गया तथा प्राप्त पैसो का आपस में बंटवारा कर लिया। उक्त के सम्बन्ध में थाना नयागॉव, जिला पालघर में मु0अ0सं0 267/2023, धारा 406/407/409/34 आई0पी0सी0, पंजीकृत हुआ। जिसके बाद से मै लगातार फरार चल रहा था।

अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कलवारी, बस्ती में दाखिल करते हुये मा0 न्यायालय बस्ती के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही तथा मामले की समस्त अग्रिम कार्यवाही थाना नयागॉव, जनपद पालघर, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जायेगी।